

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1983/माघ 2, 1904

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JAN. 22, 1983/MAGHA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1983

का. जा. 35(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 3, 8 और 9 में विनिर्दिष्ट प्रकार के आदेश करने में, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित किसी सेवा से है, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को अथवा सरकार की, असम सरकार की सहमति से, इस शर्त के अधीन रहते हुए सौंपते हैं कि ऐसे सौंपे जाने के होते हुए भी उक्त कृत्यों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जा सकेगा।

[स. आई. 11025/46/82-आई एस-बू एस (डी. 2)]

एल. एन. गुप्ता, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1983

S.O. 35(E).—In exercise of powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby entrusts to the Government of Assam with the consent of the Government of Assam, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in sections 3, 8 and 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) in so far as they relate to any service in connection with elections to Parliament, specified in sub-clause (xv) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said functions may also be exercised by the Central Government.

[No. I-11025/46/82-IS-US(D. III]

L. N. GUPTA, Jt Secy